क मध्य प्रदेश और ओआरएस का
राज्य।

वी।
बंटी
ख

(सिविल अपील नं। 3046 का
2019) 14 मार्च, 2019

[अरुण मिश्रा और नवीन सिन्हा,
ग जेजे।]

सेवा कानून: नियुक्ति-कांस्टेबल के
पद पर-इस आधार पर इनकार
किया गया कि वह अपराध यू/एस
घ के कमीशन के लिए एक
आपराधिक मामले में शामिल था।
आईपीसी के 392 और 411-
इनकार के आदेश को चुनौती देने
वाली रिट याचिका-उच्च
ङ न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने
रिट याचिका को खारिज कर दिया-
रिट अपील में, उच्च न्यायालय की
डिवीजन बेंच ने कहा कि नियुक्ति
आदेश जारी किया जाना चाहिए
च था क्योंकि उम्मीदवार को
आपराधिक मामले में बरी कर दिया
गया था उसे संदेह का लाभ-अपील
पर, आयोजित: यदि आपराधिक
मामले में बरी होना बा है
छ संदेह या किसी अन्य तकनीकी
कारण के लाभ पर, नियोक्ता सेवा
में नियुक्ति/निरंतरता के लिए
अवलंबी की फिटनेस के रूप में एक
उचित निर्णय लेने के लिए सभी
ज प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रख
सकता है-वर्तमान मामले में,
प्रतिवादी के खिलाफ आपराधिक
मामला/उम्मीदवार नैतिक क्रूरता
से जुड़े गंभीर प्रकार का था-चूंकि
उम्मीदवार को संदेह के लाभ के
आधार पर बरी कर दिया गया था,
बादलों को उसके पूर्वजों के रूप में
स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है, और
इसलिए नियुक्ति नहीं हो सकती है
निश्चित रूप से पालन किया है।

अपील की अनुमति देते हुए,
न्यायालय

हेल्ड: 1। यदि किसी आपराधिक
मामले में बरी होना संदेह या किसी
अन्य तकनीकी कारण के लाभ पर
आधारित है, तो नियोक्ता सेवा में
नियुक्ति/निरंतरता के लिए एक
उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सभी
प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रख
सकता है। [पैरा 13] [510-सी-
डी]

2। वर्तमान मामले में, चयन
प्रक्रिया के दौरान, सभी
आपराधिक मामले पर विचार
लंबित था और जैसा कि कुछ
गवाहों ने शत्रुतापूर्ण व्यवहार
किया है जो असामान्य नहीं है।
प्रतिवादी उसके खिलाफ मामले
की पेंडेंसी के बारे में बहुत अच्छी
तरह से जानता था और यह देखना
असामान्य नहीं है कि गवाहों ने
शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया।
पूर्वोक्त परिस्थिति में, यह मामला
नहीं कहा जा सकता है

मध्य प्रदेश और ओआरएस. वी. बंटी

क

स्पष्ट बरी, आपराधिक मामले में, उसे संदेह का लाभ नहीं दिया गया था क्योंकि उसके खिलाफ मामला झूठा पाया गया था। इस प्रकार,

ख

इस तरह के बरी होने के कारण उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा देखे गए पाठ्यक्रम के रूप में नियुक्ति का पालन नहीं किया जा सकता था। [पैरा 8] [508-बी-

ग

डी]

3. मामले में आरोप की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्रतिरूपण का

घ

एक आपराधिक मामला था और इस तरह आईपीसी की धारा 392 और 411 के तहत अपराध किया। यह गंभीर प्रकार का मामला था, जिसमें नैतिक क्रूरता शामिल थी

ङ

और केवल संदेह के लाभ के अनुदान द्वारा आपराधिक मामले में स्वच्छ बरी नहीं किया गया था, बादलों को प्रतिवादी के पूर्वजों के रूप में स्पष्ट नहीं कहा जा सकता

च

है। इस प्रकार, स्क्रीनिंग कमेटी था द्वारा गठित धारणा टी वह अनुशासित पुलिस बल में शामिल होने के लिए अयोग्य था। इसलिए, स्क्रूटनी समिति के

छ

निर्णय को ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो न्यायिक हस्तक्षेप को वारंट करता है। [पैरा 9] [508-डी-एफ]

ज

पुलिस आयुक्त, नई दिल्ली और एक अन्य वी।

मेहर सिंह (2013) 7 एससीसी 685: [2013] 13 एससीआर 432;

मध्य प्रदेश और ओआरएस राज्य। वी। परवेज खान (2015)

2 एससीसी 591; केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन

और अन्य बनाम प्रदीप कुमार और एक अन्य (2018) 1

एससीसी 797: [2018] 1 एससीआर 112; अवतार सिंह बनाम संघ

भारत और अन्य (2016) 8 एससीसी 471: [2016] 7 एससीआर

445-पर भरोसा किया।

जोगिंदर सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और

अन्य (2015) 2 एससीसी 377: [2014] 11 एससीआर 155 -

प्रतिष्ठित।

केस लॉ संदर्भ [2013] 13 एससीआर 432 पैरा 5 पर निर्भर (2015) 2 एससीसी 591 पैरा 6 पर निर्भर [2018] 1 एससीआर 112 पैरा 6 पर निर्भर [2016] 7 एससीआर 445 पैरा 7 [2014] 11 एससीआर 155 प्रतिष्ठित पैरा 7

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
[2019] एसएससीआर।

क

सिविल अपीलीय न्यायाधिकरण:
सिविल अपील नंबर.3046

2019

ख

मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के
अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक
31.10.2017 से, 2017 की रिट
अपील संख्या. 535 में इंदौर में
ग खंडपीठ

राहुल कौशिक, सुश्री भुवनेश्वर
पाठक, सुश्री शिल्पी सत्यप्रिय
सत्यम, सिद्धार्थ चक्रवर्ती, अर्जुन
घ गर्ग, सलाहकार। अपीलकर्ताओं के
लिए।

पौरश रांका, अनूप जैन,
सलाहकार। उत्तरदाता के लिए।

ङ

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय
दिया गया था:

जुगत

च

1। दी गई छुट्टी।

2। मध्य प्रदेश राज्य और अन्य
एकल न्यायाधीश द्वारा पारित
छ निर्णय और आदेश के उलट होने के
खिलाफ अपील कर रहे हैं, जो
प्रतिवादी/बंटी को कांस्टेबल के
रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य
ठहराए जाने के लिए स्क्रीनिंग
ज कमेटी के निर्णय पर सवाल उठाते
हुए रिट आवेदन को खारिज कर
देते हैं। मध्य प्रदेश राज्य की
पुलिस सेवा।

3. प्रतिवादी ने वर्ष 2013 में एक
कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन
किया था। वह दिखाई दिया और
पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा
(आईडी) को मंजूरी दे दी।
शारीरिक सहनशक्ति परीक्षण
06.05.2013 को आयोजित
किया गया था। 09.05.2014 को
उनकी चिकित्सकीय जांच की गई
और उनका चयन किया गया।
05.06.2014 को उन्हें मार्कशीट,
जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के
लिए बुलाया गया था। उन्हें
25.02.2015 को स्क्रीनिंग
कमेटी द्वारा पुलिस सत्यापन के
लिए बुलाया गया था।
11.03.2015 को, विभाग ने
स्क्रीनिंग कमेटी की रिपोर्ट के
आधार पर निर्णय लिया कि टी

ओ उसमें वर्णित कारणों के लिए प्रतिवादी/बंटी को नियुक्ति से इनकार करते हैं।

4. यह विवाद में नहीं है कि प्रतिवादी/बंटी आईपीसी की धारा 392 और 411 के तहत अपराध के कमीशन के लिए नैतिक क्रूरता से जुड़े मामले में शामिल था। उन्हें उक्त मामले में संदेह का लाभ दिया गया था और 7.1.2015 के फैसले और आदेश को रद्द कर दिया गया था और उसी ने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया है।

5. जैसा कि नियुक्ति प्रतिवादी/बंटी के इनकार के खिलाफ मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय, इंदौर में खंडपीठ के समक्ष एक रिट याचिका दायर की। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने इस मामले पर विचार किया

मध्य प्रदेश और ओआरएस. वी.
बंटी

क

व्यापक विस्तार से और पुलिस
आयुक्त, नई दिल्ली और एक
अन्य बनाम मेहर सिंह, (2013)
7 एससीसी 685 में इस न्यायालय
ख के निर्णय पर भरोसा किया, और
यह कि याचिकाकर्ता स्क्रीनिंग
कमेटी के सामने पेश हुए थे और
यह स्क्रीनिंग द्वारा निष्पक्षता में
पाया गया था समिति कि वह
ग नैतिक क्रूरता के एक मामले में
शामिल थी और बरी होना साफ
नहीं था। उन्हें अनुशासित बल में
पुलिस कांस्टेबल के रूप में नियुक्त
होने के लिए अयोग्य पाया गया
घ था। कारणों का संचार किया गया।
जानें सिंगल जज ने भी किया
भरोसा
एम. पी. के राज्य में निर्णय और
अन्य बनाम दिनेश सिंह परिहार
ङ और अन्य, रिट अपील संख्या
724/2014 में उच्च न्यायालय
की डिवीजन बेंच द्वारा प्रस्तुत,
उक्त रिट आवेदन को खारिज कर
दिया। हालांकि, डिवीजन बेंच ने
च लगाए गए फैसले और आदेश से,
प्रतिवादी/बंटी द्वारा पसंद की गई
रिट अपील को इस आधार पर
अनुमति दी है कि बरी करने का
निर्णय रिकॉर्ड पर सामग्री पर
छ आधारित है, उसे बरी कर दिया
गया था क्योंकि अपराध उचित
साबित नहीं हुआ था संदेह,
नियुक्ति आदेश को बी करना होगा
ई निश्चित रूप से जारी किया
ज गया। इसलिए, विशेष अवकाश
द्वारा अपील इस न्यायालय के
समक्ष दायर की जाती है।

6. राज्य की ओर से पेश वकील ने
मेहर सिंह (सुप्रा), मध्य प्रदेश
राज्य और ओआरएस में इस
न्यायालय के फैसलों पर भरोसा
किया है। वी। परवेज खान,
(2015) 2 एससीसी 591, केंद्र
शासित प्रदेश, चंडीगढ़ प्रशासन
और अन्य बनाम प्रदीप कुमार
और एक अन्य, (2018) 1
एससीसी 797, यह तर्क देने के
लिए कि जब स्क्रीनिंग कमेटी ने
आरोपों पर विचार करने वाली
निष्पक्षता के साथ एक राय बनाई
है और समग्र सामग्री निर्णय
न्यायिक समीक्षा के लिए खुला
नहीं है जब तक कि उसने
मध्यस्थता नहीं की है।
रिली या उसका निर्णय विकृत है।
सीखे गए वकील ने आगे कहा कि
संदेह के लाभ के आधार पर केवल

बरी करना अपीलकर्ता के पक्ष में नहीं हो सकता है ताकि नियुक्ति के हकदार हो सकें, जैसा कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा देखा गया है।

7. दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने अवतार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, (2016) 8 एससीसी 471, और जोगिंदर सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और अन्य, (2015) में इस न्यायालय के एक फैसले पर भरोसा किया है। 2 एससीसी 377। प्रतिवादी की ओर से पेश वकील ने कहा कि यह बिना किसी सबूत के और पीडब्लू के संबंध में मामला था। 12 भी उक्त गवाह के संबंध में स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष दायर अभ्यावेदन में कारण बताए गए थे
एड ने प्रतिवादी के खिलाफ क्यों अपदस्थ किया। इस प्रकार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, डिवीजन बेंच द्वारा पारित निर्णय और आदेश में हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता है।
द

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
[2019] एसएससीआर।

क

बरी होने के फैसले के मद्देनजर
स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा प्रतिवादी
को अनफिट नहीं कहा जा सकता
था।

ख

8. पक्षकारों के लिए सीखे गए
वकील की सुनवाई के बाद, हमारा
विचार है कि प्रतिवादी ने वर्ष
2013 में चयन प्रक्रिया में भाग
ग लिया था, उस समय उक्त
आपराधिक मामला विचाराधीन था
और उसे बाद में बरी कर दिया गया
था, विचाराधीन निर्णय और आदेश
7.1.2015 चयन प्रक्रिया के
घ दौरान सभी मामले लंबित थे और
जैसा कि कुछ गवाहों ने
शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया है जो
असामान्य नहीं है। प्रतिवादी
मामले की पेंडेंसी के बारे में बहुत
ङ अच्छी तरह से जानता था
उसे और यह देखना असामान्य
नहीं है कि गवाहों ने शत्रुतापूर्ण
व्यवहार किया। पूर्वोक्त परिस्थिति
में, यह स्पष्ट बरी होने का मामला
च नहीं कहा जा सकता है,
आपराधिक मामले में, उसे संदेह
का लाभ नहीं दिया गया था
क्योंकि उसके खिलाफ मामला झूठा
पाया गया था। इस प्रकार, इस
छ तरह के बरी होने के कारण उच्च
न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा
देखे गए पाठ्यक्रम के रूप में
नियुक्ति का पालन नहीं किया जा
सकता था।

ज

9. मामले में आरोप की प्रकृति को
ध्यान में रखते हुए, यह एक पुलिस
अधिकारी के रूप में प्रतिरूपण का
मामला था और इस तरह
आईपीसी की धारा 392 और 411
के तहत अपराध किया। यह गंभीर
प्रकार का मामला था, जिसमें
नैतिक क्रूरता शामिल थी और
केवल संदेह के लाभ के अनुदान
द्वारा आपराधिक मामले में स्वच्छ
बरी नहीं किया गया था, बादलों
को प्रतिवादी के पूर्वजों के रूप में
स्पष्ट नहीं कहा जा सकता है। इस
प्रकार, स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा
बनाई गई धारणा कि वह थी
अनुशासित पुलिस बल में शामिल
होने के लिए अयोग्य होना उचित
था। पूर्वोक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स
में, स्क्रूटनी समिति के निर्णय को
ऐसा नहीं कहा जा सकता है जो
न्यायिक हस्तक्षेप को वारंट करता
हो।

10. तथ्यात्मक मैट्रिक्स में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने सीखा, मेहर सिंह (सुप्रा) में निर्णय पर सही रूप से भरोसा किया है, जिसमें इस न्यायालय ने निम्न के रूप में देखा है: -

"35। पुलिस बल एक अनुशासित बल है। यह महान कंधे

कानून और व्यवस्था और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी

समाज। लोग इसमें बहुत विश्वास और विश्वास रखते हैं। यह उस विश्वास के योग्य होना चाहिए। पुलिस बल में शामिल होने के इच्छुक उम्मीदवार को अत्यंत ईमानदार व्यक्ति होना चाहिए। उसके पास त्रुटिहीन चरित्र और अखंडता होनी चाहिए। आपराधिक विरोधी होने वाला व्यक्ति इस श्रेणी में फिट नहीं होगा। भले ही वह बरी हो गया हो या

मध्य प्रदेश और ओआरएस. वी. बंटी

क

आपराधिक मामले में छुट्टी दे दी गई, उस बरी या डिस्चार्ज आदेश की जांच करनी होगी कि क्या वह इस मामले में पूरी तरह से छूट
ख गया है क्योंकि यहां तक कि अपराधों के जीवन में उसके ले जाने की संभावना भी पुलिस बल के अनुशासन के लिए खतरा है। इसलिए, स्थायी आदेश ने इन
ग मामलों में निर्णय लेने का काम स्क्रीनिंग कमेटी को सौंपा है। स्क्रीनिंग कमेटी का निर्णय तब तक अंतिम रूप से लिया जाना चाहिए जब तक कि वह
घ दुर्भावनापूर्ण न हो। हाल के दिनों में, आईएमए
पुलिस बल का जीई कलंकित है। शक्ति का दुरुपयोग करके पुलिस कर्मियों के तरीके से व्यवहार करने
ङ के उदाहरण सार्वजनिक डोमेन में हैं और चिंता का विषय हैं। पुलिस बल की प्रतिष्ठा को झटका लगा है। ऐसी स्थिति में, हम दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई गई स्क्रीनिंग
च कमेटी की तरह एक तंत्र के महत्व और प्रभावकारिता को कम नहीं करना चाहेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिन लोगों की विश्वसनीयता खत्म होने की
छ संभावना है, वे पुलिस बल में प्रवेश नहीं करते हैं। उसी समय, स्क्रीनिंग सी
ओम्मीटी को उस पर भरोसा किए गए विश्वास के महत्व के लिए
ज जीवित होना चाहिए और सभी उम्मीदवारों को एक समान हाथ से व्यवहार करना चाहिए। "11। इसके अलावा, जब हम तीन-न्यायाधीश के निर्णय पर विचार करते हैं

अवतार सिंह (सुप्रा) में इस न्यायालय के न्यायालय ने देखा: -

38.4.3 यदि तकनीकी आधार पर नैतिक क्रूरता या जघन्य/गंभीर प्रकृति के अपराध से जुड़े मामले में पहले ही बरी कर दिया गया था, और यह स्वच्छ बरी का मामला नहीं है, या उचित संदेह का लाभ दिया गया है, तो नियोक्ता विचार कर सकता है सभी प्रासंगिक तथ्य उपलब्ध हैं, और कर्मचारी की निरंतरता के रूप में उचित निर्णय ले सकते हैं।

12. प्रदीप कुमार (सुप्रा) में इस न्यायालय ने देखा: -

"15। उपरोक्त विवरणों से, हम
पाते हैं कि स्क्रीनिंग कमेटी ने
उत्तरदाताओं के प्रत्येक मामले
और उनके बरी होने के कारणों की
जांच की और निर्णय लिया। यह
तय करते समय कि क्या किसी
आपराधिक मामले में शामिल
व्यक्ति को बरी कर दिया गया है
या छुट्टी दे दी गई है, उसे पुलिस
बल में एक पद पर नियुक्त किया
जाना चाहिए, अपराध की प्रकृति
जिसमें वह शामिल है, चाहे वह
एक सम्मानजनक बरी हो या केवल
संदेह के लाभ का विस्तार हो
गवाहों ने शत्रुतापूर्ण व्यवहार
किया और अभियोजन पक्ष में
खामियां
पर लेने के लिए स्क्रीनिंग कमेटी
द्वारा विचार किए जाने वाले सभी
पहलू हैं

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट
[2019] एसएससीआर।

क

निर्णय कि क्या उम्मीदवार पद के
लिए उपयुक्त है। जैसा कि पहले
बताया गया है, स्क्रीनिंग कमेटी
ने प्रत्येक मामले और उनके बरी
ख होने के कारणों की जांच की और
निर्णय लिया कि उत्तरदाता
चंडीगढ़ पुलिस में कांस्टेबल के पद
के लिए उपयुक्त नहीं हैं। इस
प्रक्रिया का पालन दिशानिर्देश 2
ग (ए) (बी) के अनुसार किया जाता
है, इस तरह की स्क्रीनिंग का एक
उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि
केवल त्रुटिहीन चरित्र वाले
व्यक्ति पुलिस बल में प्रवेश करें।
घ जबकि, अदालत निर्णय के लिए
अपने विचारों को स्थानापन्न नहीं
कर सकती है
स्क्रीनिंग कमेटी का आयन।
"13। पूर्वोक्त निर्णयों में निर्धारित
ङ कानून यह स्पष्ट करता है

यदि किसी आपराधिक मामले में
बरी होना संदेह या किसी अन्य
तकनीकी कारण के लाभ पर
च आधारित है, तो नियोक्ता सेवा में
नियुक्ति/निरंतरता के लिए एक
उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सभी
प्रासंगिक तथ्यों को ध्यान में रख
सकता है। त्वरित मामले में
छ स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिया गया
निर्णय डिवीजन बेंच द्वारा गलत
नहीं हो सकता था।

14. जोगिंदर सिंह (सुप्रा) में
ज प्रतिवादी के लिए उपस्थित
विद्वान वकील द्वारा दिए गए
निर्णय पर आते हुए, हमारा विचार
है कि यह मामले के रिकॉर्ड पर
सामग्री के उचित विचार पर
स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा लिए गए
निर्णय का मामला नहीं था।। इस
प्रकार, निर्णय अलग है। मामले के
अजीबोगरीब तथ्यों और
परिस्थितियों में, हम यह मानने के
लिए इच्छुक हैं कि स्क्रीनिंग
कमेटी का निर्णय उचित था।

15। इस प्रकार, डिवीजन बेंच के
निर्णय और आदेश को बनाए रखने
की अनुमति नहीं दी जा सकती है,
उसी को अलग रखा गया है और
एकल न्यायाधीश द्वारा पारित
निर्णय और आदेश को बहाल किया
गया है। तदनुसार, अपील की
अनुमति है। लागत के रूप में कोई
आदेश नहीं। लंबित आवेदन (ओं),
यदि कोई हो, का निपटारा किया
जाएगा।

कल्पना के। त्रिपाठी अपील की
अनुमति दी।